संतकबीरनगर पुलिस

जनपद – संतकबीरनगर ***प्रेस विज्ञप्ति*** ***दिनाँक 20.03.2024***

थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले मे वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में ***मिशन शक्ति अभियान*** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री शशि शेखर सिंह*** के मार्गदर्शन में व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना महुली पुलिस*** द्वारा मु0अ0स0 94/2024 धारा 363,366, भादवि व 16/17 पाक्सो एक्ट के मामले मे वांछित अभियुक्त रमेश नाई पुत्र रामधनी निवासी मड़पौना थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को सिसवनिया पुल से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा थाना महुली पर वादिनी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना महुली पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर आज दिनांक 20.03.2024 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी निरीक्षक श्री सतीश सिंह, व0उ0नि0 श्री रामकरन निषाद, हे0का0 रमेश मिश्रा, का0 संघरतन।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए जिलाबदर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, जिला बदर आदेश का उल्लंघन कर लुक छिप कर जनपद में कर रहा था निवास

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री शशि शेखर सिंह*** के मार्गदर्शन में जनपद में एनबीडव्ल्यू, वांछित, जिला बदर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री राघवेन्द्र सिंह राठौर*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना मेंहदावल ***रामकृष्ण मिश्र*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति / वाहन व गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर जिलाबदर घोषित किए गये अभियुक्त नाम राकेश यादव पुत्र मुरली यादव ग्राम बनकसिया जनपद संतकबीरनगर को जनपदीय सीमा के अन्तर्गत उसके ग्राम बनकसिया से जिलाबदर अवधि का उल्लंघन करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया। उक्त

गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 58/2024 धारा 10 उ0प्र० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 पंजीकृत किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त को दिनांक 05.03.2024 को जिला प्रशासन द्वारा छः माह की अवधि के लिए जनपद सन्तकबीरनगर से जिलाबदर का आदेश दिया गया था। अभियुक्त को इस आदेश का तामिला भी आदेशोपरान्त करवा दिया गया था, उसके उपरान्त भी अभियुक्त जनपद की सीमा में लुक छिप कर निवास कर रहा था। जिलाबदर आदेश के उल्लंघन के क्रम में थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री अवधेश कुमार सिंह , हे0का0 मैनेजर प्रसाद, का0 अमित चौहान

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आपराधिक मानव वध के मामले में 04 अभियुक्तो को 07-07 वर्ष का साधारण कारावास व प्रत्येक को 08-08 हजार रुपये (कुल 32000 रु0) के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 14.03.2024 को ***न्यायालय – ए0एस0जे0/पाक्सो प्रथम जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा ***थाना कोतवाली खलीलाबाद*** पर पंजीकृत 779/2015 धारा 323, 325, 304, 504, 506 भादवि के मामलें में अभियुक्तगण 1. राम सुआरथ उर्फ रामस्वारथ पुत्र स्व0 विश्राम 2. विनोद पुत्र राम स्वारथ 3. संतोष पुत्र राम स्वारथ 4. राम नरायन पुत्र राम स्वारथ निवासीगण घटरम्हा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को दोषसिद्धि पर प्रत्येक को भादवि की धारा 323 के अन्तर्गत 01-01 वर्ष का साधारण कारावास से दण्डित किया गया है, दोषसिद्धि अभियुक्तगण को प्रत्येक को भादवि 325 के अन्तर्गत 03-03 वर्ष के साधारण कारावास व 02-02 हजार अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड अदा न करने पर 02-02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषसिद्धि अभियुक्त प्रत्येक को भादवि की धारा 506 के अन्तर्गत 02-02 वर्ष के साधारण कारावास से और 01-01

हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01-01 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। दोषसिद्ध अभियुक्तगण भादवि की धारा 304 के भाग 02 के अन्तर्गत 07-07 वर्ष का साधारण कारावास और 05-05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03-03 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। दोषसिद्ध अभियुक्तगण द्वारा अदा की गयी धनराशि में से आधी धनराशि मृतका के परिजन को देय होगी। दोषसिद्ध द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि दण्ड की अवधि में समायोजित की जायेगी। दोषसिद्ध अभियुक्तगण की सभी सजायें साथ साथ चलेंगी। अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा 437ए भादवि अन्तर्गत प्रस्तुत बन्धपत्र व जमानतनामें निर्णय की तिथि से 06 माह तक नियमानुसार प्रभारी रहेगा। दोषसिद्ध को निर्णय की एक-एक प्रति निशुल्क अविलम्भ प्रदान की जाये। अभियुक्तगण का सजायावी वारंट बनाकर जिला कारागार प्रेषित किया जाये।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए चोरी की 10 अदद टायर, 01 अदद वाहन महिन्द्रा पिकप के साथ 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

***थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत टेमी चौराहा स्थित टायर बनाने की दुकान से 20 अदद टायर चोरी के सम्बन्ध में प्राप्त हुई थी। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 202/2024 धारा 379/411 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था*।**

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपद में चोरी जैसी घटनाओं के सफल अनावरण के निर्देश के क्रम में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस*** द्वारा चोरी की 10 अदद टायर, एक अदद वाहन महिन्द्रा पिकप के साथ 02 अभियुक्तगण 1.परवेज पुत्र अब्दुल रहीम निवासी देवपुर चमनगंज थाना बखिरा जनपद संत कबीर नगर, 2.आदित्य नाथ यादव पुत्र शिवचरन यादव निवासी रमवापुर थाना बखिरा जनपद संत कबीर नगर को मुखबिर की सूचना पर ककरहा के पास से दिनांक 20.03.2024 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.परवेज पुत्र अब्दुल रहीम निवासी देवपुर चमनगंज थाना बखिरा जनपद संत कबीर नगर,

2.आदित्य नाथ यादव पुत्र शिवचरन यादव निवासी रमवापुर थाना बखिरा जनपद संत कबीर नगर।

बरामदगी-

1- 10 अदद टायर, एक अदद वाहन महिन्द्रा पिकप संख्या UP 58 AT 3138 ।

पंजीकृत अभियोग-
1. मु0अ0सं0 202/2024 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल– उ0नि0 श्री राकेश कुमार, हे0का0 दीनानाथ, का0 संजय प्रसाद, का0 अनूप यादव ।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर मार्ग दुर्घटना करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में वांछित/ पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री ब्रजेश सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस*** द्वारा मु0अ0सं0 1235/2023 धारा 279/337/338/304 भा0द0वि0 के मामले से संबंधित अभियुक्त नाम पता हरिश्चन्द्र तिवारी पुत्र ब्रम्हदेव तिवारी निवासी बाहिलपार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-
हरिश्चन्द्र तिवारी पुत्र ब्रम्हदेव तिवारी निवासी बाहिलपार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर ।

संक्षिप्त विवरणः- दिनांक 24.12.2023 को वादी द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद सूचना दिया गया कि दिनांक 30.10.2023 को समय 04 बजे शाम को वादी अपनी पत्नी व अपने पुत्र उम्र लगभग 10 वर्ष के साथ टेम्पू में बैठकर सेमरियावां से खलीलाबाद जाते समय भुवरिया चौराहे पर टैम्पो चालक अभियुक्त उपरोक्त द्वारा लापरवाही पूर्वक चलाते हुए अनियंत्रित होकर टैम्पो पलट जाने जिससे वादी, वादी की पत्नी व पुत्र को चोटे आने तथा ईलाज के दौरान वादी के पुत्र की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था । उक्त संबंध में थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को कार्यवाही कर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः-

उ0नि0 श्री सुरेश यादव, हे0का0 अनिल सिंह।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

दिनांक 19.03.2024 को प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री राम कृपाल सिंह*** के नेतृत्व मे गठित टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 214 / 2024 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त सुरेन्द्र यादव पुत्र रामफेर यादव निवासी चपरापूर्वी मिसिरपुरा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को मेहदावल बाईपास खलीलाबाद के पास से दिनांक 19.03.2024 को गिरफ्तार किया गया तथा विधिक नियमों का पालन करते हुये गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

सुरेन्द्र यादव पुत्र रामफेर यादव निवासी चपरापूर्वी मिसिरपुरा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 0214/2024 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद

2. मु0अ0सं0 1091/2023 34/392/411 भा0द0वि0 थाना कोतवाली खलीलाबाद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री राम कृपाल सिंह,उ0नि0 पवन कुमार,हे0का0 राकेश गोंड,का0 कृष्णानन्द शाह,का0 अंजीत पाल।

दबिश के दौरान 09 वारण्टी अभियुक्तगण गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में

***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस* द्वारा 06 नफर** वारण्टी नाम पता 1. जितेन्द्र पुत्र तेरस निवासी तेनुआ राय तितौवा 2. धर्मराज पुत्र तेरस निवासी तेनुआ राज तितौवा 3. रामप्रकाश पुत्र भूल्लू निवासी

उपरौल तामेश्वरनाथ 4. मनीराम पुत्र परमेश्वर निवासी उपरौल तामेश्वरनाथ 5. राज जयसवाल पुत्र स्व0 रमाकान्त निवासी मोतीनगर बरदहिया 6. विनोद निषाद पुत्र मोती निषाद निवासी मेलवसिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः-उ0नि0 श्री संजय वर्मा, उ0नि0 श्री पवन कुमार, उ0नि0 श्री संजय वर्मा, उ0नि0 श्री राकेश कुमार, का0 पंकज विश्वकर्मा, का0 अनिल यादव, का0 अभिषेक सिंह, हे0का0 नरुद्दीन, का0 प्रदीप यादव, का0 मनोज यादव, का0 अनुप यादव, का0 ओमवीर सिंह ।

***थाना दुधारा पुलिस* द्वारा 01 नफर** वारण्टी नाम पता सेराज पुत्र मो0 असलम निवासी बढ़यामाफी थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः-उ0नि0 श्री राजेश कुमार दूबे, का0 प्रशान्त विक्रम सिंह ।

***थाना धनघटा पुलिस* द्वारा 02 नफर** वारण्टी नाम पता 1. पिन्टू पुत्र संतराम निवासी रुपीपुर टोला रामपुर थाना धनघटा 2. राजेश उर्फ नन्हे पुत्र कमल यादव निवासी प्रसादपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री रामदरश यादव, का0 मनोज यादव ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 97 वाहनों से 99,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 20.03.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 97 वाहनों से 99,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।